

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 185]** No. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ ज्येष्ठ 20, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

# कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

# (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

### संकल्प

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

- **सं. 44011/2(एस)/2013-स्था.(ख).**—लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का गठन करने वाले दिनांक 03 मार्च, 1987 के संकल्प सं. 27(21)-ईओ/86 (एसीसी) में –
- (i) पैरा 4.1 में उप पैरा (क), (ख), (ग) तथा (घ) निम्नलिखित उप पैराग्राफों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
  - "4.1 चयन लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल की सिफारिश करेगी:-
  - (क) मंत्रिमंडल सचिव
  - (ख) प्रधान मंत्री के अपर प्रधान सचिव
  - (ग) सचिव (कार्मिक)
  - (घ) सचिव (वित्त)
  - (ङ) सचिव (लोक उद्यम)
- (ii) पैरा 5.1 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
  - 'अध्यक्ष या सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण करेंगे।'
- (iii) पैरा 7.2 के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

2955GI/16 (1)

'राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन, इस संकल्प की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों के उम्मीदवारों सहित गैर-आंतरिक उम्मीदवार के रूप में विचार किया जाएगा।'

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (Department of Personnel and Training)

### RESOLUTION

New Delhi, the 10th June, 2016

**No. 44011/2(s)/2013-Estt.(B).**—In Resolution No. 27(21)-EO/86(ACC) dated 3<sup>rd</sup> March, 1987 constituting the Public Enterprises Selection Board(PESB),-

- (i) In Para 4.1, the sub-paras (a), (b), (c) and (d) shall be substituted by the following sub-paras, namely:-
  - "4.1 Selection A committee comprising of the following shall recommend a panel of names in order of preference for appointment to the post of Chairperson and Members to the Public Enterprises Selection Board, namely:-
  - (a) Cabinet Secretary
  - (b) Additional Principal Secretary to Prime Minister
  - (c) Secretary (Personnel)
  - (d) Secretary (Finance)
  - (e) Secretary (Public Enterprises)
- (ii) In Para 5.1, the following shall be substituted:-

'The Chairperson or Members shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge or until attainment of the age of 65 years or until further orders, whichever is earliest '.

(iii) Below paragraph 7.2, the following shall be added:-

'Candidates from State Public Sector Enterprises and the private sector subject to fulfilling the eligibility criteria will also be considered as non internal candidates along with the candidates of other public sector enterprises, for a period of five years from the date of this Resolution'.

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.